प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह.) कार्यालय, कर्नाटक, बेंगलूरु

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KARNATAKA, BANGALORE

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग,
डाक थैली सं. 5329, पार्क हाउस रोड़, कर्नाटक,
बेंगलूरु – 560 001
दूरभाष – 22640253 / 22640210

सं. आर एम/निविदा/2015-16/ दिनाँकित -

निविदा अधिसूचना

समय बाधित अभिलेखों की बिक्री आदि

प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह) कार्यालय, कर्नाटक, बेंगलूरु के 11 महीनों की अवधि के यानी 01.04.2016 से 28.02.2017 तक के समय बाधित सरकारी अभिलेखों (जिन्हें परिसर से हटाने से पूर्व फाड़ कर टुकड़े करने हैं) जैसे वाउचर, जर्नल, पुस्तिका आदि की ख़रीद हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । इस क्षेत्र में अपना अनुभव सिद्ध किए हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

निविदाएं भेजने के इच्छुक व्यक्ति, निविदाओं को मोहरबंद लिफ़ाफ़ों के ऊपर "समय बाधित पुराने अभिलेखों की ख़रीद हेतु निविदा" लिख कर अधोहस्ताक्षरी को 24.02.2016 को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व प्रस्तुत करें ।

निविदा आवेदन पत्र की कीमत रु 500/- मात्र होगी ।
विस्तृत नियम एवं शर्तें इस के साथ संलग्नित हैं ।

संलग्न 1. अधिसूचना
2. कोटेशन फार्म

व. लेखा अधिकारी (ओ एम)

प्रतिलिपि :

____

____

____

पत्र. सं. आर एम/निविदा/2015-16/ का संलग्न पत्र दिनाँकित –

अधिसूचना

वार्षिक ठेके आधार पर पुराने, समय बाधित अभिलेखों की बिक्री के नियम एवं शर्तों

प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह) कार्यालय, कर्नाटक, बेंगलूरु में 24.02.2016 को 3.00 बजे अपराह्न तक अथवा उससे पूर्व फाड़ कर टुकड़े किए गए समय बाधित अभिलेखों, जर्नल, राजपत्रों, पुस्तिका आदि की ख़रीद हेतु मोहरबंद निविदाएं स्वीकार की जाएगी । मोहरबंद निविदा लिफ़ाफ़ों को उस समय उपस्थित निविदाकारों के सामने 24.02.2016 को **4 बजे अपराह्न** ही खोला जाएगा ।

2. निविदा भेजने के इच्छुक व्यक्ति (वर्तमान ठेकेदार यदि वो निविदा में भाग लेना चाहता है, को भी शामिल करके) को बयाना राशि के तौर पर "वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग, बेंगलूरु" के नाम पर रेखांकित बैंक ड्राफ़्ट के माध्यम से 20,000/-रुपए जमा करने होंगे । सफल निविदाकार द्वारा दी गई बयाना राशि ठेके की अवधि पूरी होने तक प्रतिभूति जमा के रूप में रखी जाएगी । निविदा निश्चित होने के बाद असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई बयाना राशि को उन्हें बिना कोई ब्याज के वापस किया जाएगा ।

3. उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (ले.व.ह), कर्नाटक, बेंगलूरु को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

4. निविदाकार निम्न प्रकार के काग़ज़ों की ख़रीद के लिए कोटेशन प्रदान करें :

I. सरकारी अभिलेख जैसे वाउचरों, रजिस्टरों, फ़ाईलों आदि जिन्हें ठेकेदार द्वारा फाड़ कर टुकड़े किए जाने हैं ।
II. अलग किया गया बाईडिंग कार्ड बोर्ड एवं
III. अन्य काग़ज़ात

उद्धरित दर प्रति मैट्रिक टन (टैक्स छोड़कर) में होने चाहिए और यह पूरा रुपयों में हो । उपरोक्त तीनों वर्गों के अभिलेखों के लिए एक ही दर उद्धरित किया जाना है । तथापि, फाड़े हुए अभिलेखों को हटाते समय निविदाकार को सरकार द्वारा लगाया ज़ाने वाले वैट, उपकर, अधिशुल्क एवं अन्य कर को भी वहन करना पड़ेगा ।

5. सफल निविदाकार को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए तथा निविदा स्वीकार करने पर उनके द्वारा निष्पादित करार में दिए गए नियम, शर्तों तथा क्रियाविधियों का पालन करना चाहिए ।

6. निविदा स्वीकृत होने की सूचना मिलने के 7 दिनों के अंदर ही उन्हें निर्धारित फार्म में उचित मूल्य के मुद्रांकित पत्र पर ठेका प्रारंभ करना होगा अन्यथा बयाना राशि जब्त की जाएगी ।

7. उसे हर महीने के 1 या 15 के बाद प्रथम कार्यदिवस पर इस कार्यालय में संपर्क करना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि किस दिनांक को अभिलेखों को हटाने हेतु उपलब्ध किया जाएगा । उपर्युक्त विवरण प्राप्त होने के बाद कार्यालय के सभी भवनों नामतः मुख्य भवन, नया भवन, रिकोर्ड स्कंध एचएमटी, जालहल्ली तथा होसूर रोड़ , बेंगलूरु 560 068 के सिंगसान्द्रा स्कंध के सभी अभिलेखों को हटाने की व्यवस्था करनी होगी । तथा यह अभिलेखों की लागत पर वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय